IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd , JAMUI

S.T 130/2021

Arising out of P.S. Case No. Khaira 431 /2020 G.R No. 2945/2020

---

1. Praveen Yadav S/o Jaldhari Yadav

Resident of Village- Amari, P.S.- Khaira and Dist.-Jamui

---------------------------------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

------------------- Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	01-07-2021	काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्रवीण यादव की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है तथा अनुसंधानकर्ता ने बिना अभियोजन स्वीकृति आदेश के ही आरोप पत्र समर्पित कर दिया है, उसी अनुसार संज्ञान भी हो गया है तथा आवेदक के पास से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ तथा आवेदक विगत नौ महीने से काराधीन है तथा आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह अभियुक्त जितेंद्र कुमार यादव एवं टुनटुन यादव को इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.21 एवं 19.06.21 को जमानत दिया जा चुका है तथा आवेदक का मामला भी उसी धरातल पर आता है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध इस वाद में आरोपित धारा 25(1–बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम है तथा आवेदक पर आरोप है कि आवेदक के पास से एक देशी पिस्तौल, तीन जिंदा गोली एवं दो मोबाईल पुलिस ने बरामद किया था तथा अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 193/20 दिनांक 28.11.20 समर्पित कर दिया है, इसलिए अब इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा अब इस वाद में साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ होने की संभावना प्रतीत नहीं होती तथा आवेदक के विरुद्ध आरोप गठन किया जा चुका है तथा कोरोना संक्रमण के चलते अभी न्यायालय में साक्ष्य अभिलेखित नहीं किया जा रहा है तथा इस वाद के अन्य दो सह अभियुक्त जितेंद्र कुमार यादव एवं टुनटुन यादव का जमानत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.21 एवं 19.06.21 के द्वारा दिया जा चुका है तथा आवेदक इस वाद में दिनांक 04.10.20 से लगातार काराधीन है, इस प्रकार आठ माह से अधिक की कारा अवधि व्यतीत हो चुकी है। वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त प्रवीण यादव को बीस हजार रूपया के दो प्रतिभू सहित बंध–पत्र दाखिल करने इस शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक प्रतिभू आवेदक का निकट संबंधी अर्थात माता/पिता/पत्नी/पुत्र/भाई होगा तथा आवेदक विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा तथा लगातार दो तिथि पर बिना किसी	

	<u>पश्चात्</u> 01.07.21	युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने पर उसका बंध पत्र रद्द किया जा सकता है। लेखापित -SD- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय जमुई।	

Web Copy